कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,शिक्षा
संभाग – दुर्ग

जिला पंचायत के सामने जी.ई.रोड़ दुर्ग छ.ग.
Phone : 0788 – 2962296 E-mail : jddurg18@gmail.com

// आदेश //

क्रमांक / 958 / मान्यता वृद्धि / नवीनीकरण / 2022 दुर्ग दिनांक 10 / 03 / 2022

छ.ग. शिक्षा संहिता के अध्याय 03 के नियम 33 के उपनियम (1) के तहत निम्न अशासकीय विद्यालय को सत्र **2022–23 से 2023–24 तक** दो वर्ष की अवधि के लिये अधोलिखित शर्तो के अधीन मान्यता नवीनीकरण प्रदान की जाती है।

क्र	विद्यालय का नाम	समिति का नाम	अनुमति स्तर	माध्यम	शिक्षा सत्र	बोर्ड
1	सेंट जेवियर्स उ0मा0वि0,शांति नगर भिलाई, जिला दुर्ग	विद्या ज्योति विकास समिति	नर्सरी से 12वीं	अंग्रेजी	2022–23 से 2023–24 तक	सी.बी.एस.ई.

शर्तें:–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8वीं के पश्चात मान्यता / संबद्वता करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2012(परिशिष्ट–दो) के उपबन्धों का पालन करेगा ।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या 25 प्रतिशत तक आस –पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को पवेश प्रदान करेगा,और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा । परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानको का अनुपालन किया जायेगा ।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा,और किसी बच्चे या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।
6. विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा,और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा ।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(पांच) अधिनियम के उपबन्धों च के अनुसार निःशक्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।

(छः) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है,परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे ।

(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

(आठ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।

(नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग–4 के अधीन विनिर्दिष्ट सनियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो ।

(दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति मे अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए ।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

कमशः02

8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	– 10000 वर्ग फीट
कुल निर्मित का क्षेत्र	– 2889.64 वर्ग फीट
खेल के मैदान का क्षेत्रफल	– 9284 वर्ग फीट
कक्षाओं की संख्या	– 15 कक्ष
प्रधान पाठक–सह–कार्यालय–सह भण्डार के लिये कक्ष	– 04
बालकों और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	– 04+04
पेयजल सुविधा	– नल
मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई कक्ष	–
बाधारहित पहुंच	–हां

अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद के उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता – संलग्न

9 विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलाई जायेंगी ।

10 विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जावेगा ।

11 विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

12 विद्यालय को किसी वैयक्तिक,वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है ।

13 विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिये प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।

14 आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 104/201/02 है । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें ।

15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा,जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दुर करने के लिये जारी किये जाए ।

16 सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए ।

17 संलग्न परिशिष्टि तीन के अनुसार अन्य कोई शर्ते ।

(1) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छ.ग.शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा ।

(2) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) में मान्यता का कमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।

18 मान्यता अधिनियम की धारा 18 के अधीन नवीनीकरण के अध्ययधीन रहेगी ।

संयुक्त संचालक,
शिक्षा, संभाग–दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/959/मान्यता /कक्षोन्नयन/2022
दुर्ग दिनांक 10/03/2022

प्रतिलिपि :–

1 सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2 जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ।

3 प्राचार्य .... की ओर सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आगामी सत्र के पूर्व शाला द्वारा उक्त प्रभावशील शर्तो की पूर्ति कर ली जावें अन्यथा आगामी सत्र में मान्यता पर विचार संभव नही होगा।

संयुक्त संचालक,
शिक्षा, संभाग–दुर्ग(छ.ग.)